राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : 4812 दिनांक :21 अगस्त, 2024

बैठक कार्यवाही विवरण

माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2024 को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की कार्यप्रणाली, राज्य व केन्द्र सरकार की योजनाओं, प्रगति, समस्याओं एवं सुझावों के सम्बन्ध में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधिकारियों को निम्नांकित निर्देश प्रदान किए गए –

1. अनुसूचित क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं यथा सड़क, बिजली, पानी, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को सुदृढ़ किया जाए तथा अनुसूचित क्षेत्र को अन्य क्षेत्रों के समान सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु विभाग की कार्ययोजना से अवगत कराया जाए तथा आधारभूत सुविधाओं के विकास में अनुसूचित क्षेत्र का अन्य क्षेत्रों से गैप विश्लेषण कर प्रस्तुत किया जाए।
2. अनुसूचित क्षेत्र में संचालित सभी विभागों की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग अपने स्तर पर मॉनिटरिंग करे। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का दायित्व केवल विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना ही नहीं है बल्कि अनुसूचित क्षेत्र के समग्र विकास की जवाबदेही भी है।
3. माननीय राज्यपाल महोदय ने जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी, जल जीवन मिशन योजना के तहत लाभान्वित परिवारों, अनुसूचित क्षेत्र के गाँवों में पक्की सड़कों के निर्माण की प्रगति, अनुसूचित क्षेत्र के गाँवों में आरोग्य सेवाओं की स्थिति के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देश प्रदान किए कि उक्त सभी योजनाओं का व्यावहारिक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए।
4. जनजाति कलाकारों द्वारा सहरिया आवासों में मांडना कला तथा बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चद्दरों एवं पर्दों पर डिजाइन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित कर इसे आजीविका का स्रोत बनाया जाए और अनुसूचित क्षेत्र के हर गाँव में इस कला से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित किया जाए तथा अन्य जनजातीय लोगों को भी इस कला से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए।
5. वनधन विकास केन्द्रों के उत्पादों की अधिकाधिक मांग उत्पन्न की जाए और विभिन्न मंत्रालयो/विभागों से समन्वय कर वनधन विकास केन्द्रों के उत्पादों की आपूर्ति बढ़ाई जाए जिससे जनजाति रहवासियों की आजीविका और आय के अवसरों में वृद्धि हो सके।

6. अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में छात्रावासों की संख्या कम है। छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने तथा नए छात्रावास बनाये जाने के संबंध में विभाग द्वारा प्रयास किए जाए।
7. अनुसूचित क्षेत्र में जरूरतमंद रहवासियों को आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्चयन किया जाए।

बैठक में माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किए गए –

1. अनुसूचित क्षेत्र के कुछ गाँव वनभूमि के अन्तर्गत होने के कारण गाँवों के बीच सड़क कनेक्टिविटी का अभाव है। अतः ऐसे गाँवों को सड़कों से जोड़ने हेतु प्रशासन नियमानुसार कार्यवाही करे ताकि अनुसूचित क्षेत्र के गाँवों के बीच आवागमन सुलभ हो सके।
2. अनुसूचित क्षेत्र में संचालित विभागीय छात्रावासों में प्रवेश के मानदंड में मेरिट के साथ आय को भी आधार बनाए जाने पर विचार किया जाए ताकि निर्धन परिवारों के बच्चों को भी छात्रावासों में प्रवेश मिल सके।

सचिव, माननीय राज्यपाल द्वारा सधन्यवाद बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(डॉ. कविता सिंह)
निदेशक (जनजाति कल्याण) एवं
संयुक्त सचिव, माननीय राज्यपाल
o/c

क्रमांक : 4813 दिनांक : 21 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, राजभवन, जयपुर।
5. उप सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।
7. निजी सहायक, निदेशक (जनजाति कल्याण) एवं संयुक्त सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, जयपुर।

निदेशक (जनजाति कल्याण) एवं
संयुक्त सचिव, माननीय राज्यपाल
o/c